उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1921 / VII-A-1 / 2021 / 158ख / 04टीसी
देहरादून, दिनांकः 10 नवम्बर, 2021

अधिसूचना संख्या– 1874 / VII-A-1 / 2021 / 158ख / 04टीसी, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊं / गढ़वाल, नैनीताल / पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1874 / VII-1 / 2021 / 158ख–04टीसी
देहरादून, दिनांकः 10 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमित करते हुए राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा;

(ग) "वाहक" से किसी रीति, सुविधा या वाहन अभिप्रेत है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय, जिसमें यांत्रिक युक्ति, व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है;

(घ) "अनुसंधान कार्य" से बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए और उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चीकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिए किये गये कोई कार्य अभिप्रेत है;

(ङ.) 'नियमावली, 1960" से अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गई खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन खनिज से भिन्न) रियायत नियमावली, 2016 अभिप्रेत है;

(च) "नियमावली, 2001" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गयी "उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(छ) "वैज्ञानिक परीक्षण" से बिना किसी वाणिज्यक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या खनिज विश्लेषण और उसके रासायनिक एवं खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिए किये गये परीक्षण अभिप्रेत है;

(ज) "जिला अधिकारी" से उस जिले के कलेक्टर या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें भूमि स्थित है;

(झ) "अभिवहन पास/ई–रवन्ना" से अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक द्वारा जारी किये गये पास अथवा विभागीय वेब पोर्टल से निर्गत ई–रवन्ना अभिप्रेत है;

(ण) "आदतन अपराधी" से ऐसे अवैध खनिज परिवहनकर्ता अभिप्रेत है, जो एक वर्ष में दो या इससे अधिक बार खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया हो, दोष सिद्ध हुआ हो एवं अर्थदण्ड/अन्य दण्ड से दण्डित हुआ हो;

(त) "बाजार मूल्य" से प्रचलित उपखनिज की रायल्टी का पांच गुना की धनराशि अभिप्रेत है;

(थ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(द) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ध) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, खनन/भूविज्ञान से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकारियों अभिप्रेत है;

(न) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जनपद स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक/उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;

(प) "खनन सत्र" से वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर, से 30 जून तक की अवधि अभिप्रेत है;

(फ) मैदानी क्षेत्र:–मैदानी क्षेत्र से जिला टिहरी गढवाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिहनगर के सम्पूर्ण भाग अभिप्रेत है;

(ब) पर्वतीय क्षेत्र:– पर्वतीय क्षेत्र से जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) अभिप्रेत है;

(भ) "जिला खान अधिकारी" से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का जनपद में खनन प्रशासन हेतु राज्य सरकार/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(म) "रिटेल भण्डारण" से खनिजों (रेता, बजरी, आर०बी०एम०, बोल्डर, ग्रिट, डस्ट इत्यादि) का ऐसा भण्डारण अभिप्रेत है, जो कि निजी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी (प्लांट परिसर से बाहर हेतु), खनन पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक, रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक, सोपस्टोन ट्रेडर्स, सोपस्टोन पल्वराईजर अनुज्ञाधारक द्वारा विक्रय एवं प्लांटों के प्रयोजन से भण्डारित किया गया है, अभिप्रेत है तथा जिसे इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

(य) "लेखाशीर्षक" से राज्य सरकार के लेखाशीर्षक 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्त उद्योग, 102–खनिज रियायती शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क अभिप्रेत है;

(र) "मोबाईल चैक पोस्ट" से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों के चैकिंग हेतु चलित (Movable) चैक पोस्ट से अभिप्रेत है;

(ल) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;

(व) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी०आर०ओ०, रेल विकास निगम लि०, टी०एच०डी०सी० लि०, एन०एच०पी०सी०, एन०टी०पी०सी०, सी०पी०डब्ल्यू०डी०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू०जे०वी०एन०एल० आदि अभिप्रेत है;

(2) "शब्द और पद" जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।

प्रतिषेध

3. कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक /रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना, किसी खनिज का स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र/खनन अनुज्ञा क्षेत्र, प्लांट के भण्डारण अनुज्ञा स्थल/रिटेल भण्डारण अनुज्ञा स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर न तो परिवहन करेगा, न ही उसे ले जायेगा अथवा न ही परिवहन करायेगा और न ही ले जाने का कार्य करायेगा।

अभिवहन पास का प्रदाय और उसके लिए फीस

4. (1) खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/ रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक, राज्य सरकार या महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एवं रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) अभिवहन पास का प्रदाय, सम्बन्धित जिले के जिला खान अधिकारी या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तद्धीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा।

अभिवहन पास का जारी किया जाना

5. (1) अभिवहन पास, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार के विभागीय ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र "क" से मुख्य खनिज के लिए और नियमावली, 2001 के साथ संलग्न ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा।

(2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा;

परन्तु राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।

(3) मुख्य खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र–"एन" में अभिवहन पास जारी करेगा।

अध्याय–दो
खनिजों का परिवहन

खनिजों के निरीक्षण हेतु जांच चौकियों की स्थापना

6. (1) खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट की स्थापना की जायेगी।

(2) (क) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल के प्रभारी अधिकारी को मौके पर अवैध रूप से परिवहन किये जाने रहे खनिज तथा वाहन का अधिहरण (Confiscate) करने का अधिकार होगा।

(ख) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल, ऐसे खनिज और वाहन की, जो उसके द्वारा अधिगृहित किये गये हैं, प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से उसे अधिगृहित किया गया है।

(ग) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल का प्रभारी अधिकारी, अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहन चालक/स्वामी को निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने एवं अपनी अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में रखने का निर्देश दे सकता है।

खनिजों का परिवहन

7. (1) खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग मे लाये जा रहे वाहनों के साथ अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का रखा जाना आवश्यक होगा। वाहन चालक/स्वामी, उक्त प्रयोजन के लिए मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा।

(2) खनिज ढोने वाले सभी वाहन चालक/स्वामी, मोबाईल चैक पोस्ट पर रूकेंगे और अभिवहन पास की जांच कराने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे। मोबाईल चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का विवरण निर्धारित पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेगा तथा प्रत्येक माह परीक्षण हेतु निदेशालय को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा अभिवहन पास से सम्बन्धित कोई सूचना पंजिका में जानबूझकर गलत अंकित करने अथवा सूचना त्रुटिपूर्ण होने व दोष सिद्व होने की दशा में मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 218 के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी।

(3) राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत संचालित वी०टी०एस० (Vehicle Tracking System) प्रणाली को खनन परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू कर सकेगी।

अध्याय–तीन
खनिजों का भण्डारण

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

8. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा;

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) वाहन, ऑफिस, तौल मशीन एवं प्लांट के क्षेत्र को छोड़कर अवशेष क्षेत्र में खनिज भण्डारण किया जायेगा, जिसकी रिटेल भण्डारण स्थलों में अधिकतम ऊंचाई 03 मीटर से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मी० ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण किया जा सकेगा।

(ख) आवेदक, खनिज भण्डारण हेतु उपखनिज की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से सूचित करेगा।

परन्तु, उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा :–

1. उपखनिज के रिटेल भण्डारण हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 25,000.00 (₹ पच्चीस हजार मात्र) देय होगा, जो वापस नही किया जायेगा।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण हेतु पृथक से शुल्क देय नहीं होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म

इकाई के जनपदीय अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त माना जायेगा

प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति /संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. संबंधित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी – सदस्य सचिव।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(6) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा परियोजना के निर्माण/टनल से निकले मक (Muck) के चिन्हित भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र **"एच–1"** में आवेदन, निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 50,000/– (₹ पच्चास हजार) सहित, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के संबंध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र **"एच–2"** पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी :–

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	संबंधित परियोजना के अभियन्ता (सिविल),	सदस्य

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन (Open Excavation) स्थल एवं रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञा

9. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये खनिजों के भण्डारणों की अनुज्ञा निम्नवत स्वीकृत की जायेगीः–

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।
2. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 01 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
3. हाट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
4. अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर स्वीकृत अनुज्ञा को ई–पोर्टल से जोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

उपयोगी उपखनिज के उपयोग की अनुमति

10. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा संबंधित परियोजना के टनलों के निर्माण कार्य से निकलने वाले मक (Muck) में से उपयोगी उपखनिज (usable material) के उपयोग की अनुमति रायल्टी की दोगुनी धनराशि एवं अन्य देयताओं के भुगतान की शर्त पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा 05 वर्ष जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अवशेष अनुपयोगी मक को स्वीकृत डम्पिंग साईट पर डम्प किया जायेगा। डम्पिंग साईट पर डम्प खनिज मात्रा के परिमाण को कुल उत्खनित मक की मात्रा से घटाते हुए उपयोगी मक/उपखनिज की गणना की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन Open Excavation) स्थल व रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

11. (1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 15 दिन के अन्तर्गत जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी के द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण महानिदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु, जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(3) नवीनीकृत भण्डारण अनुज्ञा के आधार पर ई–पोर्टल पर अद्यतनीकरण (Updation) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

भण्डारण के मानक एवं अन्य शर्तें

12. (1) कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा।

(2) रिटेल भण्डारण स्थल का सार्वजनिक स्थल, सरकारी वन, रेल मार्ग, नदी आदि से दूरी निम्न प्रकार होगी–

(i) पर्वतीय क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–100 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 100 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड.–नदी (Perennial River) से दूरी–50 मी०
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 25 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–25 मी0

(ii) मैदानी क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–300 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–300 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 300 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड़– नदी (Perennial River) से दूरी–500 मी०
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 50 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–100 मी0

परन्तु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों मे स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट के परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु दूरी के मानक वही होंगे, जो इन प्लांटों की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट नीति के अनुसार होंगे;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि, जो उसकी नहीं है या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नहीं है, का उपयोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा।

(4) राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई–एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से भुगतान के आधार पर यथा स्थिति ई–फार्म "जे" अथवा ई–फार्म (ओ/एस) तथा आकस्मिक परिस्थिति हेतु मैनुअल "जे" प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की

रिकॉडिंग को संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण के समय रिकॉडिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर ₹ 250/– प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो कि अनुज्ञाधारक के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा कराया जाना होगा।

(6) अनुज्ञाधारक भण्डारण स्थल की चाहरदीवारी एवं अभिलेख रख–रखाव हेतु कार्यालय, धर्मकांटा, भरान (loading), भार उतारना (unloading) हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा।

(7) (i) स्टोन केशर व स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को विक्रय की गयी मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारकों द्वारा विक्रय की गयी उपखनिज की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उसके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) खनिज सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड, मैग्नेसाईट, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञाधारकों एवं प्लवराईजर प्लांट भण्डारण अनुज्ञाधारकों पर उक्त खनिज की रायल्टी का 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(iv) प्रदेश के बाहर से आयतित होने वाले खनिज या उसके उत्पाद तथा ईंट या इनके कच्चे माल को राज्य में प्रवेश करने हेतु पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमी द्वारा ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन में उपखनिज का नाम, मात्रा ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा तथा अनुज्ञाधारक/खनन उद्यमी द्वारा उपखनिज का अभिवहन पत्र (रवन्ना) एवं जी०एस०टी० नम्बर धारित बिल की मूल प्रति संरक्षित की जायेगी। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जनपदीय अधिकारी के पास ऑनलाईन/ऑफलाईन पहुंचने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/भण्डारणकर्ता आदि द्वारा बाहरी राज्यों से लाये गये उपखनिज (क्रय/विक्रय) की मात्रा को अधिकतम 01 सप्ताह की समयावधि के अन्तर्गत जांचोपरान्त उसके ऑनलाईन स्टॉक (Capacity in hand) में जोड़ दिया जायेगा। ऐसे खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर छोड़कर) का लेखा एम०आई०एस० पोर्टल पर पृथक से दर्शाया जायेगा। इस प्रकार परिवहन कर लाये गये खनिजों पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की दर से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क वेब पोर्टल पर Credit in करने से पूर्व जमा किया जाना अपरिहार्य होगा। उक्त व्यवस्था प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार महानिदेशक अथवा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे सभी पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमियों के अभिलेखों का परीक्षण (Scrutiny) कर किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इस नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(8) तकनीकी दल द्वारा राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं से संबंधित टनल/निर्माण स्थल से निकासी किये गये उपखनिज (Muck) की कुल मात्रा में से उपयोगार्थ उपखनिज की आगणित/सत्यापित मापन मात्रा, संबंधित टनल निर्माण के उपरान्त स्वीकृत मात्रा से कम अथवा अधिक पाये जाने पर, कम अथवा अधिक पाये जाने वाली मात्रा पर देय रायल्टी का समायोजन/भुगतान किया जायेगा।

स्वीकृत उपखनिज की मात्रा पर आंगणित रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य देयों का भुगतान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा त्रैमासिक किश्तों मे विभागीय लेखा शीर्षक मे अग्रिम जमा किया जायेगा। किश्तों का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत न किये जाने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज लिया जायेगा।

(9) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत स्थल से उपखनिज की निकासी/उपयोग हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(10) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग संबंधित परियोजना निर्माण कार्य में ही किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग अन्यत्र किये जाने की पुष्टि होने पर नियम 14(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ₹ 1.00 करोड़ (₹ एक करोड़) की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के साथ–साथ अनुज्ञा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

खनिजों का लेखा–जोखा रखना

13. (1) अनुज्ञाधारक, प्रत्येक समय क्रय किये गये, भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखा–जोखा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–"के" में रखेगा।

(2) अनुज्ञाधारक द्वारा ₹ 2.00 लाख से अधिक उपखनिज क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(3) अनुज्ञाधारक द्वारा समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।

(4) खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के क्रय–विक्रय एवं अवशेष खनिज आदि लेखा की मासिक सूचना आगामी माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं जिला खान अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डारण परिसर स्थित है, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र "एल" में प्रस्तुत करेगा।

(5) खनिजों के भण्डारण अनुज्ञाधारक के किसी भी प्रपत्र, ई–प्रपत्र, लेखा–जोखा, ई–लेखा–जोखा, बही रजिस्टर आदि अन्य आवश्यक अभिलेख मांग कर परीक्षण (Scrutiny) करने तथा परीक्षणोपरान्त अनियमितताएं पाये जाने पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर, रिटेल भण्डारण, सोपस्टो, मैग्नेसाईट आदि अनुज्ञाधारकों, सोपस्टोन ट्रेडर अनुज्ञाधारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण–दोष के आधार पर 03 माह के भीतर अधिनियम की धारा

21 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2), धारा 22, धारा 23(क), धारा 23(ख) तथा धारा 24 के अन्तर्गत महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं जिलाधिकारी आदेश पारित कर सकेंगे।

जाँच एवं शास्ति

14. (1) रिटेल भण्डारण या प्लांटों मे भण्डारित खनिज की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा धारा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो कि खान निरीक्षक से अन्यून न हो :–

(क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ख) भण्डारण में पड़े हुए खनिजो के स्टॉक को तौल सकता है, माप सकता है या उसकी माप ले सकता है परन्तु उक्त पैमाईश के दौरान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी;

(ग) कब्जे में रखे गये किसी भी दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है;

(घ) ऐसे दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपियां बना सकता है;

(ड.) खण्ड (ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका खनिज के किसी स्टॉक पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, बुला सकता है या उसका परीक्षण कर सकता है;

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाय ;

(ज) खनिजों के भण्डारण में अनियमितता पाये जाने पर भण्डारण स्थलों को सीज (Seize) करते हुए भण्डारणकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकता है एवं नोटिस का प्रति उत्तर सन्तोषजनक प्राप्त न होने पर अवैध खनन पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुत कर सकता है।

(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (₹ में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा

			का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पौकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(3) महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जो उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) अवैध खनिजों के परिवहन में पकड़े गये वाहनों का मौके पर शमन करने हेतु अधिकृत होंगे।

(क) अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा शमन के उपरान्त वसूली गयी धनराशि को चालान के माध्यम से जमा कराते हुए रवन्ना/चालान प्रपत्र पर ट्रेजरी चालान संख्या, दिनांक, वसूली गयी धनराशि एवं तालिका में इंगित वाहन का प्रकार हस्ताक्षर सहित प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित की जायेगी।

(ख) अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहन का मौके पर शमन करते हुए वसूली गयी धनराशि को विभागीय सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(ग) खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये वाहनों के शमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये चालान एवं जमा की गयी धनराशि का विवरण महानिदेशक एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) (क). एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

(ख). रिटेल भण्डारणकर्ता/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता द्वारा अवैध ई–रवन्ना पर क्रय–विक्रय व परिवहन किये जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) (क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण

संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई–रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/ विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त ₹ 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

(ख) अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनिज खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उप नियम (5) (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर तो 10 प्रतिशत तक के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा क्रय एवं विक्रय खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में आगामी माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड़) अवैध खनन से संलिप्त वाहनों/अवैध भण्डारणों को जब्त करने तथा दण्ड अधिरोपित करने हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो खान निरीक्षक से अन्यून स्तर का न हो, अधिकृत होंगे, परन्तु जब्त/दण्ड अधिरोपित करते समय महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति/प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।

(च) भण्डारण स्थल के चारों तरफ चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया जाना होगा, जो खनिज भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी। भण्डारण की ऊंचाई का सत्यापन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भण्डारणकर्ता पर ₹ दो लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(छ) सरकारी निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा परियोजनाओं मे प्रयुक्त किये गये उपखनिज ग्रिट आदि हेतु वैद्य ई–रवन्ना प्रपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा को अवैध मानते हुए उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरण में परियोजना के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रोजेक्ट मेनेजर के द्वारा सन्देहास्पद ई–रवन्ना प्रपत्रों की जांच करने हेतु जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा, जिसके द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्र अवैध पाये जाने पर उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ज) राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित ₹ 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं खनिज की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के समक्ष किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह प्रावधान उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से दिनांक 30.11.2021 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

(झ) जो वाहन राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज एवं मुख्य खनिज को छोड़कर) का ढुलान करते हुए राज्य की सीमा में पकड़ा जायेगा, ऐसे वाहन में लदे आर०बी०एम०, बोल्डर एवं वाहन को जब्त कर

लिया जायेगा तथा जब्त किये गये आर०बी०एम०, बोल्डर को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारित करते हुए जब्त किये गये वाहन के संबंध में उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) रिटेल भण्डारणों व स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे जिला खान अधिकारी के द्वारा अनुज्ञाधारकों/प्लान्टधारकों के व्यय पर किया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(7) खदान के निकासी गेटों पर स्थापित धर्मकांटों पर आर0एफ0आई0डी0 सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) निदेशालय स्तर पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु निगरानी प्रकोष्ठ (Monitoring Cell) की स्थापना की जायेगी।

अपील

15. इस नियमावली के अधीन महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर मण्डल आयुक्त के समक्ष प्रपत्र–"एम" में अपील कर सकेगा।

पुनरीक्षण

16. राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

अपील/ पुनरीक्षण हेतु शुल्क

17. नियम 15 के अन्तर्गत प्रत्येक अपील एवं नियम 16 के अन्तर्गत प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु शुल्क ₹ 10,000.00 देय होगा, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा, की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी।

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation/ Committee of Independent Experts) द्वारा वादों का निस्तारण

18. खनिजों से सम्बन्धित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रकरण शासन द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation Committee of Independent Experts) को सन्दर्भित किये जा सकेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

19. (1) राज्य में इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इस नियमावली की तत्स्थानी कोई विधि/नीति (जिन्हें इसके पश्चात् इस नियम में निरसित नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है।

(2) उपनियम (1) द्वारा निरसित नियमों का निरसन कर दिये जाने पर भी –

(क) निरसन और ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना, अथवा की गयी कोई नियुक्ति या घोषणा, अथवा दी गयी कोई छूट अथवा किया गया कोई अधिहरण या अधिरोपित की गयी कोई शास्ति या जुर्माना, कोई समपहरण, रद्दकरण, अथवा की गयी कोई अन्य बात या कोई अन्य

कार्रवाई, जहां तक इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन निकाली गई, किया गया या की गयी समझी जायेगी।

(ख) निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है;

परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/संचालित खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत अवधि तक वैध रहेगी, जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अनुसार आर०बी०एम० एवं बोल्डर का क्रय/विक्रय किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

अनुसूची
प्रपत्र –"एच"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(नियम 8 देखिए) दिनांक .....

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद .....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के अधीन खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति दी जाय।

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार आवेदन शुल्क .....ट्रेजरी चालान सं०..... दिनांक .....को जमा करा दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(i) आवेदन का नाम .....
पिता का नाम .....
अस्थायी पता .....
जी०एस०टी० नं० .....

(ii) भण्डारण हेतु आवेदित क्षेत्र का विवरण
खसरा नं० .....
क्षेत्रफल .....
ग्राम/शहर .....
तहसील .....
जनपद .....

(iii) क्या आवेदक निजी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है ?

(iv) यदि आवेदक :–
(क) एक व्यक्ति है जो उसकी राष्ट्रीयता : .....
(ख) यदि कम्पनी है तो कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।
(ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता .....
(घ) आवदेक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति .....
(ड) खनिज या खनिजों के नाम, जिन्हें आवेदक भण्डारित करना चाहता है .....
(च) अवधि, जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है .....

(v) (क) क्या आवेदक उस भूमि पर सतही अधिकार रखता है, जिसे भण्डारण के लिए वह उपयोग में लाना चाहता है ?
(ख) यदि नहीं, तो क्या भण्डारण के लिए भूमि के स्वामी या अधिभोगी से सहमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ, तो स्वामी या अधिभोगी से प्राप्त लिखित सहमति दाखिल की जाय .....

(vi) भूमि की संक्षिप्त विवरण, विशेष संदर्भ सहित .....
(vii) भण्डारित किये जाने वाले खनिज/खनिजों की मात्रा .....
(viii) खनिज/खनिजों के भण्डारण का उद्देश्य .....
(ix) भण्डारण के लिये उपयोग होने वाली भूमि का मानचित्र .....
(x) भण्डारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची.....

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सहीं हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जिसके अन्तर्गत आप द्वारा यथा अपेक्षित यथार्थ नक्शे भी हैं, देने को तैयार हूँ/हैं।

स्थान .....
दिनांक .....

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर और नाम)

प्रपत्र –"आई"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
(नियम 9 देखिए)

संख्या .....

1- अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता .....
.....
.....
.....
.....

2- अनुज्ञप्ति की अवधि ..... से .....तक

3- भण्डारण के लिए अनुज्ञा प्राप्त खनिजों की मात्रा :

4- प्रत्येक खनिज की एक ही समय में अनुज्ञा प्राप्त मात्रा :

5- भण्डारण का प्रयोजन :

6- खनिजों के भण्डारण हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति :–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थिति
1	2	3	4	5

स्थान .....

दिनांक .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा मुहर।

प्रपत्र –"जे"
अभिवहन पास (तीन प्रतियों में)
{नियम 5(2) देखिए}

पुस्तक संख्या
अभिवहन पास क्रमांक संख्या

1.	भण्डारण के स्वामी का नाम, पूर्ण पते सहित	दिनांक ..... समय
2.	भण्डारण स्थल का विवरण	गाटा संख्या ..... ग्राम तहसील एवं जिला .....
3.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञा का विवरण	आदेश संख्या ..... दिनांक .....
4.	अनुज्ञा की वैध दिनांक	
5.	परिवहन किये जा रहे खनिज/खनिजों का नाम	
6.	निर्गमित किये जा रहे खनिज की मात्रा (घनमीटर में)	
7.	गन्तव्य स्थान	कहां से ..... कहां तक .....
8.	वाहन के प्रकार का विवरण (ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली की दशा में वाहन का रजिस्ट्रीकरण संख्या इंगित करें)	प्रकार : (ट्रक/ट्रैक्टर) पंजीकरण संख्याः
9.	परेषण के भारसाधक व्यक्ति के हस्ताक्षर, पूरा नाम पता सहित :	
10.	पास जारी करने वाले व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक एवं समय सहित :	

प्रपत्र –"के"
खनिजों के भण्डारण और प्रेषण का लेखा रजिस्टर
{नियम 13(1) देखिए}

1- भण्डार के स्वामी का नाम पूरा पता सहित :
भण्डारित सामग्री का विवरण :

(I) दिनांक
(II) खनिज/खनिजों का नाम
(III) खनिज/खनिजों की मात्रा
(IV) प्रदायकर्ता/विक्रेता/पट्टाधारक/अनुज्ञा–पत्रधारक का नाम :

2- क्रय किये गये खनिज/खनिजों का विवरण :

(I) (क) एम0एम0 11/प्रपत्र–एन की पुस्तक संख्या एवं क्रम संख्या दिनांक सहितः
(ख) उस पट्टाधारक का अनुज्ञा–पत्र धारक का नाम, जिससे खनिज क्रय किया गया है।
(II) भण्डारण के लिये क्रय किये गये या लाए गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरणः
(III) भण्डारण के लिये प्राप्त किये गये खनिज के क्रय का मूल्य (पट्टेदार या अनुज्ञा–पत्र धारक होने की दशा में अपेक्षित नहीं है):
(IV) भण्डारण के लिये क्रय की गयी खनिजवार कुल मात्राः

3- प्रेषण का विवरण :

(I) दिनांक
(II) खनिज/खनिजों का नाम मात्रा सहित :
(III) नियम 6(4) के अधीन यथाविहित जारी किए गये अभिवहन पास की संख्या और दिनांक
(IV) प्रेषण का गन्तव्य स्थान –
कहां से ..... कहां को .....
(V) भण्डारण स्थल के बाहर निर्गमित किये गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरण पंजीकरण संख्या सहित
(VI) परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता :
(VII) भण्डार से परिवहन किये गये खनिज का विक्रय मूल्य :
(VIII) खनिजवार अतिशेष स्टॉक ।

प्रपत्र –"एल"
मासिक विवरणी
{देखिए नियम 13(4)}

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
जनपद .....

2. जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद .....

..... माह .....के लिये विवरणी

1. भण्डारण के स्वामी का नाम और पता .....
2. परिसर, जहां खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व यथा :–
गाटा सं0 ..... ग्राम .....
तहसील .....जिला .....
3. खनिज के भण्डारण हेतु जिला प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक .....
.....
.....
4. खनिजों के स्टॉक का विवरण जैसा नीचे सतम्भ में दिया गया है :–

खनिज/खनिजों का नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (घन मी0 में)	माह के दौरान प्राप्त खनिज/खनिजों की कुल मात्रा (घन मी0 में)	माह के दौरान निर्गमित खनिज/खनिजों की कुल मात्रा (घन मी0 में)	माह के दौराज जारी किये गये अभिवहन पासों की कुल सं0 दिनांक सहित	निर्गम हेतु प्रयोग किये गये ट्रक या ट्रैक्टर या ट्राली की कुल संख्या	परिवहन के प्रकार का विवरण (ट्रक/ट्रैक्टर/ट्राली की रजिस्ट्रीकरण संख्या)	खनिजवार अंतिम स्टॉक (घन मी0 में)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान .....
दिनांक .....

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र –"एम"
अपील हेतु आवेदन का आदर्श प्रपत्र
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायें)
(नियम 15 देखिए)

सेवा में,

महोदय,

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवली, 2021 के उपबंधों के अधीन ..... द्वारा पारित आदेश सं0 ..... दिनांक ..... के विरूद्व एक अपील दायर की जा रही है। अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

1. अपील दायर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों / फर्म या कम्पनी का नाम और पता.....
2. व्यक्ति / व्यक्तियों या फर्म या कम्पनी का व्यवसाय.....
3. उस प्राधिकारी जिसके विरूद्व अपील दायर की जा रही है, के आदेश संख्या और दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न की जाये).....
4. अपीलार्थी / खनिजों, जिसके लिये अपील दायर की जा रही है .....
5. खनिज / खनिजों, जिनके लिये अपील दायर की जा रही है .....
6. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 15 में यथा विहित रीति के अपील के लिये जमा किये गये ₹ 10,000 की विहित फीस का विवरण–खजाना चालान सं0 (प्रति संलग्न की जायें) दिनांक .....
7. क्या प्रतिवादित आदेश के संसूचित किये जने के दिनांक के 30 (तीस) दिन के भीतर अपील दायर की गयी है ? .....
8. यदि नहीं तो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवाली, 2021 के नियम 15 के अधीन दिये गये उपबन्ध के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने का कारण .....
9. बनाये गये पक्ष / पक्षकारो, यदि कोई हो, के नाम व पूरे पते .....

10. इसके साथ संलग्न अपील की प्रतियों की संख्या .....
11. अपील का अधार
    (विवरण पृथक–पृथक प्रस्तुत किये जा सकते हैं)
    (i) संक्षिप्त तथ्य
    (ii) आधार
    (iii) प्रार्थना
12. यदि अपील मुख्तारनामा धारक द्वारा दायर की गयी है, तो ऐसे मुख्तारनामे को संलग्नक किया जाय।

संलग्नक :–

1.
2.
3.

स्थान .....
दिनांक .....

भवदीय,

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
और पूरा पता

प्रपत्र –"एन"
मुख्य खनिज भण्डारण से परिवहन के लिये अभिवहन पास
(नियम 5 (3) देखिए)

दिनांक ..... समय.....

1- पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी का नाम .....
2- खान की अवस्थिति .....
3- खनिज/खनिजों का नाम .....
4- खनिज/खनिजों की मात्रा .....
5- किस प्रयोजन या उद्योग में खनिज ..... का प्रयोग किया जायेगा
6- गन्तव्य स्थान .....से .....तक
7- परिवहन साधनों का विवरण (यदि वाहन हो तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या).....
8- खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और अंगुष्ठ चिन्ह .....
9- परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम और पता .....
10- परेषण के भारसाधक व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर .....
11- अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर .....

टिप्पणी : (1) प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा।
(2) दो प्रतिपर्ण परेषण के भारसाधक व्यक्ति को दिये जायेंगे, जिसमें से एक प्रतिपर्ण पास को जांच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।

प्रपत्र– "क"
मुख्य खनिजों के खनन पट्टों से खनिज के परिवहन का प्रपत्र
(नियम 5(1) देखिए)

दिनांक ..... समय .....

1. खनन पट्टाधारक का नाम .....
2. खदान का नाम व उसकी स्थिति.....
3. खनिज/खनिजों का नाम .....
4. खनिज/खनिजों की मात्रा.....
5. खदान से बाहर भेजे गये खनिज की मात्रा.....
6. खनिज का उपयोग किस कार्य अथवा उद्योग में किया जायेगा।
7. गन्तव्य स्थान कहाँ से..... कहाँ तक.....
8. खनिज किस वाहन से भेजा जा रहा ..... है, उसका विवरण
   (यदि मोटर गाड़ी/ट्रक से भेजा जा रहा हो, तो उसकी निबन्धन सं0 लिखी जाय और यदि अन्य साधनों से भेजा जाय, तो उसका विवरण दिया जाय।)
9. खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा ।
10. प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का विवरण।
    (क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम.....
    (ख) पता.....
11. पास जारी करने वाले व्यक्ति का विवरण ।
    (क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम.....
    (ख) पता.....

प्रपत्र एच–1

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना हेतु मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए आवदेन पत्र का प्रारूप
(तीन प्रतियों मे प्रस्तुत किया जायेगा)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

महानिदेशक,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के निर्माण स्थल/परियोजना के टनल, Open excavation व रिवर ट्रेनिंग स्थलों से निकलने वाले मक/उपखनिज के भण्डारण एवं प्रयोग की अनुमति परियोजना की अवधि तक दी जाये।

2. उक्त नियमावली के नियम 8 के अधीन प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्धारित शुल्क ₹ 50,000/– कोषागार चालान संख्या.....दिनांक.....के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है।

3. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है:–.....

4. आवेदक का नाम व पूरा पता.....

5. परियोजना निर्माण स्थल/टनल क्षेत्र का नाम.....

6. परियोजना निर्माण स्थल/टनल का क्रमांक .....

7. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की कटाई की चौड़ाई/माप.....

8. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की लम्बाई/माप.....
.....

9. यदि परियोजना निर्माण स्थल/टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण.....

10. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप .....

11. डम्पिंग साईट का विवरण.....

12. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घनमीटर में) .....
.....व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घनमीटर में).....

14. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर मे) .....व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर मे).....

15. कोई अन्य विवरण या रेखा–मानचित्र (स्कैच मैप) जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहें.....

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

प्रपत्र एच–2

मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप

1. आवेदक का नाम व पूरा पता.....
2. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना स्थल/टनल क्षेत्र का नाम.....
3. परियोजना निर्माण स्थल/टनल का क्रमांक .....
4. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की कटाई की चौड़ाई/माप.....
5. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की लम्बाई/माप.....
6. यदि परियोजना निर्माण स्थल/टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण.....
7. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप .....
8. डम्पिंग साईट का विवरण.....
9. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा.....
11. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में) .....
12. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में).....

12. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर मे).....

13. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में).....

14. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज मं से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में).....
.....

15. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर मे).....तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....

16. मौका निरीक्षण के समय Open excavation से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).....

17. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार प्रस्तावित उपयोगार्थ (Usable) मक/उपखनिज की कुल मात्रा (घनमीटर में) .....के सापेक्ष परियोजना निर्माण स्थल/टनल से समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर मे).....
..... में अन्तर (घनमीटर में).....

18. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) व समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज के क्रमिक योग में अन्तर अधिक है तो अन्तर के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी व अन्य देयों की धनराशि (₹ में)..... और यदि अन्तर कम है तो समायोजित की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि (₹ में).....
.....

19. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है.....

20. गठित समिति की संस्तुतिः–

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के अभियन्ता (सिविल),
(सदस्य)

संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी
(सदस्य)

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी (सदस्य)

प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी
(सदस्य)

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी
(सदस्य)

महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी (संयोजक)

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव